

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के 1.) नरेश मुण्डा पिता-दिनेश्वर मुण्डा; ग्राम- ओरला , थाना- माण्डू , जिला- रामगढ़ (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- ओरला, थाना सं.128 खाता सं.- 34 , के अधीन प्लॉट सं.- 65; ग्राम- तोयरा थाना सं.125 खाता सं.- 27 , के अधीन प्लॉट सं.- 992, 993, 995 कुल रकबा - 02.00 एकड़ के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट <http://www.centralcoalfields.in/indsk/notiemplInd.php> पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (कुजू क्षेत्र), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उपरोक्त दस दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

ज्योत्सना
21.02.2025
प्रबंधक (सामुदायिक विकास)
भू-राजस्व विभाग,
सी.सी.एल. (मुख्यालय) राँची